सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र
Centre for Cultural Resources and Training
(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

डॉ चेतन सिंह
उपनिदेशक(प्रशि./सा.प्र.)

सीसीआरटी/11015/1/2018
अप्रैल 04, 2018

महोदय,

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी.सी.आर.टी) भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा देश के विभिन्न भागों में सेवारत शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इनका शैक्षिक भ्रमण केन्द्र द्वारा करवाया जाता है। केन्द्र स्कूली छात्र/छात्राओ के लिए भी विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों/संग्रहालयो तथा कला वीथियों के शैक्षिक भ्रमण आयोजित करता है। इसी संबंध में वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए आधिकारिक कारणों हेतु केन्द्र में बसों की निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। यदि आप बस सेवाएँ देने के लिए इच्छुक हैं, तो संलग्न निविदा फार्म भरकर मोहरबंद निविदा केन्द्र को भेजें। लिफाफे के बाहरी आवरण पर "अनुबंध के आधार पर बस किराए में देने हेतु निविदा" अवश्य लिखा होना चाहिए।

निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि **27 अप्रैल, 2018 सायं 3.00 बजे** तक है।

भवदीय,

(डॉ चेतन सिंह)

15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नयी दिल्ली-110075 भारत दूरभाष : 011-250309300, फैक्स : 91-11-25088637
15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 INDIA Phones : 011-25309300, Fax : 91-11-25088637
e-mail : dir.ccrt@nic.in website : www.ccrtindia.gov.in
इस कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।
इस कार्यालय में हर दिन भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं का दिन है।

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र
प्लाट नं.15 ए, सेक्टर-7, द्वारका
नई दिल्ली-110075

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **27 अप्रैल, 2018** 3.00 बजे अपराहन

2. निविदा खोलने की तिथि अपराहन **27 अप्रैल, 2018** 4.00 बजे अपराहन

(ii) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी.सी.आर.टी) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायतशासी संस्था है। इस केन्द्र द्वारा अध्यापकों के लिए अल्पावधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान अध्यापकों के लिए दिल्ली शहर में स्मारकों/संग्रहलयों/प्राकृतिक उद्यानों आदि का शैक्षिक भ्रमण करवाया जाता है। सीसीआरटी दैनिक आधार पर बस (52/36) सीट उपलब्ध करवाने हेतु सर्विस टैक्स नम्बर एवं पेन कार्ड रखने वाली प्रतिष्ठित एजेंसियों से निविदाएँ/दरें आमंत्रित करता है।

(ii) निविदा में वर्णित दरें **01.06.2018 से 31.3.2019** तक वैध होगी।
(iii) निविदा का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	अवधि	घंटे	किलोमीटर	किराये पर ली जाने वाली/ बस का प्रभार (52 सीट/36 सीट)
1.	पूरे दिन डयूटी	८ घंटे	८० किलोमीटर	
2.	आधे दिन डयूटी	4 घंटे	40 किलोमीटर	
3.	अतिरिक्त प्रतिकिलोमीटर	....	....	
4.	अतिरिक्त प्रतिघंटा	....	....	

समय और दूरी की गणना सीसीआरटी कार्यालय से वापस कार्यालय तक के आधार पर की जाएगी।

(iv) सेवा शर्तें निम्न होंगी-

1. बसें अच्छी हालत में होनी चाहिए तथा वाहन का मॉडल वर्ष 2014 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान मापदण्डों के आधार पर होनी चाहिए।

2. ड्राइवर/कन्डैक्टर का व्यवहार सीसीआरटी स्टाफ और प्रतिभागियों के प्रति सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिए तथा ड्राइवर ट्रैफिक नियमों के मापदण्डों की सम्पूर्ण जानकारी वाला होना चाहिए।

3. प्रत्येक कार्यक्रम में बिलों का भुगतान, बिल प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर किया जाएगा बिल भुगतान हेतु बस ऐजेंसी को सेवा प्रदान किए जाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर बिल, सीसीआरटी, नई दिल्ली में भुगतान प्रतिपूर्ति हेतु देना होगा, अन्यथा बिल भुगतान में देरी के लिए केन्द्र उतरदायी नहीं होगा।

4. फ़र्म द्वारा इस क्षेत्र में पिछले अनुभव का ब्यौरा दिया जाना चाहिए और पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन संस्थानों को बस की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, उन संस्थानों के, विशेष रूप से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम व पते आदि दर्शाये जाने चाहिए।

5. निविदा, जिस व्यवस्था एवं प्रारूप में माँगी गई है, सम्पूर्ण रूप से ब्यौरेवार भर कर भेजी गई निविदाओं को ही मान्यता दी जाएंगी | ब्यौरे/प्रारूप में खाली नहीं छूटने चाहिए। अन्यथा ऐसी निविदाऐं अपूर्ण घोषित की जा सकती है एवं ऐसी निविदाओं को रदद मानकर उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. बसें अपने निर्धारित प्रस्थान समय से ठीक 30 मिनट पहले सीसीआरटी परिसर या रिपोर्टिंग के लिए बताए गए स्थान में पहुँच जानी चाहिए।

7. सरकारी नियमानुसार टी.डी.एस. की वसूली भी स्रोत स्वरुप मासिक बिल से काटकर सरकारी लेखा में जमा की जाएगी।

8. फ़र्म को अपने प्रस्ताव में यह प्रमाणित करना चाहिए कि वे निविदा अनुसूची में दी गई सेवा-शर्तों का अनुपालन करेंगे। सभी पार्किंग शुल्क फ़र्म द्वारा वहन किए जाऐंगे।

9. चयनित ट्रान्सपोर्ट द्वारा सीसीआरटी, नई दिल्ली के नाम से देय रूपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार केवल) को डिमांड ड्राफट के द्वारा जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। यह राशि ब्याज मुक्त होगी और असन्तोषजनक सेवा की स्थिति में सीसीआरटी, नई दिल्ली द्वारा जब्त कर ली जाएगी

10. निदेशक को संबोधित निविदा, धरोहर राशि के रूप में रूपये 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) डिमांड ड्राफट, के साथ समय पर पहुँच जानी चाहिए (यह राशि प्रतिदेय होगी)

11. स्वीकृत सेवा-शर्तों के आधार पर बसें उपलब्ध कराने के लिए फ़र्म को सीसीआरटी के साथ एक करार (एग्रीमैन्ट) पर हस्ताक्षर करने होगें।

12. निदेशक, सीसीआरटी के पास बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। केन्द्र के निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

13. यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाएँ असन्तोषजनक पाई गई तो निदेशक, सीसीआरटी को स्व-विवेक से अनुबद्ध को रद्द करने का अधिकार है।

14. ट्रांसपोर्टर के पास अपने नाम की कम से कम चार बसें अवश्य होनी चाहिए तथा उनके मूल कागजात भी कार्यालय को प्रस्तुत करने होंगे। निविदा के साथ इन कागज़ात की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

15. तय एवं मान्य दरें **31.03.2019** तक प्रभावी होगीं और किसी भी कारण अथवा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर भी स्वीकृत दरें बढ़ाई नहीं जाएँगी।

(डॉ.चेतन सिंह)
उपनिदेशक (प्रशि.एवं प्रशा.)